[redacted]

नवीन प्रकरण - 835/2016

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क. / निगरानी / 2015 निग - 835 - III - 16

बाबुलाल पिता रामलाल जी भील मीणा मृतक वारिसान
1.सीताबाई बेवा बाबुलाल जी भीलमीणा उम्र 48 साल धंधा खेती
2.कैलाश पिता बाबुलाल जी भील मीणा उम्र 20 साल धधा खेती
3.शंकरलाल पिता बाबुलाल जी भील मीणा उम्र 18 साल धंधा खेती
4.धापुबाई पुत्री बाबुलाल जी भील मीणा उम्र 26 साल धधा खेती
5.कचरीबाई पुत्री बाबुलाल जी भील मीणा उम्र 30 साल धंधा खेती
सभी निवासी–ग्राम बुगलिया तहसील व जिला मन्दसौर —प्रार्थीगण

बनाम

1.नन्नीबाई पति शकुर मुल्तानी उम्र 60 साल धंधा गृहकार्य निवासी मुल्तानपुरा तह मन्दसौर
2.मोहनबाई बेवा रामलाल जी उम्र 70 साल धंधा गृहकार्य निवासी बुगलिया तह.मन्दसौर
3.श्यामलाल पिता रामलाल जी उम्र 40 साल धंधा मजदुरी निवासी बुगलिया तह. मन्दसौर
.........विपक्षीगण

500 / 10-3-16

R.M. श्री गोपाल कुमार, अभि० द्वारा प्रस्तुत। 1-3-2016 0.5.

10.3.16

<u>निगरानी तहत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959</u>
<u>बनाराजी प्र.क.230 / 11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 81.16 माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन केम्प मन्दसौर बईजलास श्री के.सी.जैन सा. से असन्तुष्ट होकर नकल के दिन मुजरा करते हुवे निगरानी समय अवधि में पेश है।</u>

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्न निगरानी ज्ञाप पेश है।

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह कि प्रार्थी मृतक बाबुलाल पिता रामलाल भील मीणा के पक्ष में उसकी दादी मा रूपाबाई के द्वारा अपनी स्वअर्जीत सम्पत्ति जो ग्राम बुगलिया तहसील व जिला मन्दसौर स्थित 63 जिसका नया सर्वे नं. 111 रकबा 1.380 व सर्वे नं. 553 रकबा 0.105 आरी जिसका नया नम्बर 551 रकबा 0.10 आरी कुल रकबा 1.495 की वसीयत दिनांक 16.10.99 को गवाहो के समक्ष की गई थी।

2. यह कि उक्त वसीयत के बारे में आवेदक बाबुलाल के द्वारा दिनांक 26.6.2001 को देनिक पाताल लोक समाचार पत्र में जाहिर सुचना का प्रकाशन भी करवाया था जिसका कोई खण्डन विपक्षीगण के द्वारा नही किया गया है।

3. यह कि अपीलांट मृतक बाबुलाल के पिछ पिछे विपक्षी क 2 व 3 ने ग्राम पंचायत दाउदखेडी से मिलकर अपने नाम का नामान्तण करवालिया था। एवं नामान्तण नियमो का पालन नही किया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट बाबुलाल के द्वारा अनुविभागिय अधिकारी महोदय मन्दसौर के यह अपील पेश की जो प्र.क. 135 / 05–06 कायम हुई तथा दिनांक 31.1.2008 को प्रार्थी की अपील स्वीकार हुई। और ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त कर दिया गया। तथा प्रकरण को सुनवाई बाबत तहसीलदार मन्दसौर को रिमाण्ड किया। जिसके विरूद्ध विपक्षीक 2 व 3 ने माननीय अतिरिक्त कलेक्टर महोदय मन्दसौर के न्यायालय में निगरानी पेश की जो प्र.क.38 / निगरानी / 07–08 कायम हुई तथा दिनांक 28.5.2008 को निगरानी निरस्त हुई तथा प्रकरण जॉच हेतु तहसील को भेजा गया।

4. यह कि सदर प्रकरण में तहसीलदार महोदय मन्दसौर के द्वारा विधिवत इस्तहार जारी किये एवं तामील जारी की गई। जो विपक्षी क 2 व 3 उपस्थित हुवे एवं आवेदक / अपीलांट के साक्षीयो से जिरह भी की गई। एवं आपत्ती भी की गई किन्तु आपत्ति में कही पर भी यह उल्लेख नही किया गया कि विवादित भुमि को विपक्षीगण के द्वारा विकय कर दी गई। है। और केता के द्वारा भी प्रकरण के प्रचलित के दौरान बयनामा करवाया है। जो धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के तहत आवश्यक पक्षकांर नही है। क्योकि विपक्षी कमांक 1 ने दिनांक 5.5.2005 को भुमि कय करना बताया हैं जबकि उक्त समय प्रकरण न्यायालय में विचाराधिन था। जो न्याया दृष्टान्त 2000 (2) एम.पी.एल.जे. पेज 402 मनोजकुमारशर्मा वि. महादेव प्रसाद का प्रकरण एवं 2002 (3) एम.पी.एल.जे. 576 चन्द्रकाता वि. अशोक कुमार का प्रकरण अवलोकनिय है। जिसमें होल्ड किया गया है कि मामले के लम्बित अवस्था में जमीन विकी की जाती है तो अवैध है।

निरंतर पेज 2 पर ....../

(153)

(99)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/835/तीन/2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 25/07/2018 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	